फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कंकुबाई — **विपक्षी : श्री लुम्बा**

किस्म मुकदमा – 53,88,188 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 162/16**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.09.2022	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीया के मौरूस तेजा पिता पेमा कुम्हार के नाम दर्ज थी। तेजा के तीन पुत्र मेघा, कालु व लुम्बा हुए, जिनमें मेघा की वारिस वादीया है व कालु के वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 5 है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 6, 7 के नाम दर्ज होना बताया हैं। वादीयां द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है वादीयां द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पीडब्ल्यू श्रीमती कंकुबाई का पेश किया एवं दस्तवेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, सजरा खानदान प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रदर्श 3, सेटलमेन्ट विभाग की नकल सम्वत् 2023 प्रदर्श 4 पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श 2 सजरे के अवलोकन से वादीयां मेघा की पुत्री होकर मेघा की एकमात्र वारिस होना जाहिर होता हैं। भूमि पूर्व में तेजा पिता पेमा के नाम पर दर्ज थी जो दस्तावेज प्रदर्श 3, 4 से स्पष्ट होता हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होने से उक्त भूमि में वादीयां का जन्म से अधिकार निहित हैं। अतः उक्त भूमि में वादीयां अपने हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। बंटवाडे की दाद नहीं चाहने से बंटवाडे की दाद को ड्रोप की जाती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीयां आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु की आराजी नम्बर 527, 581 से 588, 1885 भूमि में वादीयां को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

(...कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 162/16 (वाद) GCMS No. : 2016/00327

उनवान

1. श्रीमती कंकुबाई पुत्री मेघा पत्नी लालुराम कुम्हार निवासी सिन्दु हाल फतहनगर तह. मावली।

..................वादीयां

बनाम

1. श्री लुम्बा पिता तेजा कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
2. श्री गणेश पिता कालु कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
3. श्री बंशी पिता कालु कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
4. श्री लक्ष्मण पिता कालु कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
5. श्री प्रेम पिता कालु कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
6. श्रीमती मंजुदेवी पत्नी रमेशचन्द्र लोढा निवासी सिन्दु तह. मावली।
7. श्रीमती सीमा पत्नी भंवरलाल कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.का. अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु की आराजी नम्बर 527, 581 से 588, 1885 भूमि में वादीयां को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.09.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested